

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/जोन अजमेर/एफ.03586/2024/240 दिनांक : 18-03-24

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/जोन अजमेर /03586/ 2024/185 दिनांक 22.02.2024 के द्वारा श्री आशाराम चौधरी, कनिष्ठ सहायक की 09 वर्षीय एसीसी के आदेश जारी किये गए थे, को संशोधित करते हुए उक्त आदेश मे राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.14 (88)वित्त (नियम)/2008-I दिनांक 31.12.2009 के स्थान पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ 15(88) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 पढा जावें।
शेष आदेश यथावत रहेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/जोन अजमेर/एफ.03586/2024/240 दिनांक : 18-03-24
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।
2. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निवाई टोंक।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री आशाराम चौधरी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

Signature valid

RajKaj Ref
6119840



Digitally signed by Rakesh Kumar
Sharma
Designation : Director
Date: 2024.03.17 09:08:50 IST
Reason: Approved